न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन) बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः— श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 28/2018

कन्हैयालाल पुत्र कुम्भाराम जाति राजपुरोहित निवासी गांव तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

अपीलान्ट

वनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :—

1— अपीलान्ट की ओर से — श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित
2— स्टेट की ओर से — विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 31.08.2018

1— अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक 07.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस संबंध में किसी प्रकार की जांच नहीं की गई है और ना ही अपीलान्ट को मौका दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को तलब किया गया व अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त किया गया।

3— उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4— विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि अपीलान्ट कन्हैयालाल पुत्र कुम्भाराम गांव तोलियासर का स्थाई निवासी है जो गांव तोलियासर में श्री भैरव नन्दी गौशाला तोलियासर में उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत है। अपीलान्ट के गावं में राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत श्री भैरव नन्दी गौशाला का पंजीयन करवाया गया। श्री भैरव नन्दी गौशाला पिछले तीन वर्षो से कार्यरत है भूखण्ड पर 100 गुणा 40 का पशुओं

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

के चारा रखने का हॉल एवं गायों को चरने के लिए करीब 200 फुट में चारो ओर ठाण बने हुए है जिस पर गाये चरती है तथा आज भी लालन पालन, देखरेख धार्मिक भावना से प्रेरित होकर की जा रही है। अपीलान्ट का कोई व्यक्तिगत हित नहीं है अपीलान्ट पूरे गांव की मंशा के अनुरूप स्वेच्छिक कार्य पर कार्यरत है। अपीलान्ट द्वारा किसी तरह का कब्जा नहीं है। गौशाला निर्मित है उसका खसरा किस जगह है यह नाप करने पर मालूम हो सकता था। अपीलान्ट को जिस खसरे पर नाजायज कब्जाधारी माना जाकर धारा 91 की कार्यवाही कर अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना पैमाईश किये आनन फानन में अपीलाधीन आदेश पारित किया है। क्योंकि दिनांक 13.7.2018 को तहसीलदार ने आदेश पर जो पैमाईश की गई इसमें गौशाला का कब्जा खसरा नम्बर 375 पर नहीं माना गया। अपने कथन के समर्थन में फार्म 3 के साथ फर्द मौका दिनांक 13.7.18 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

5— रेस्पोडेन्ट स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलोत्तर में वर्णित बिन्दुओं को दौहराते हुवे निवेदन किया कि हल्का पटवारी तोलियासर द्वारा प्रस्तुत पी—14 में खसरा नम्बर 335 रोही ग्राम तोलियासर गै.मु. शमशान भूमि में से 1.04 हैक्टयर भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बावजूद अप्रार्थी ना तो उपस्थित आये तथा ना ही कोई जवाब पेश किया। तत्पश्चात न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार बेदखली का निर्णय लिया जाकर निर्णय पारित किया गया। प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की श्मशान भूमि है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 31/2018 में पटवार हल्का की स्पष्ट रिपोर्ट है कि वादगत भूमि गैर मुमकीन श्मशान है जिस पर अपीलार्थी ने गौशाला बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। नकल जमाबंदी संवत 2071—2074 के कॉलम संख्या 4 सिवाय चक नाकाबिल काश्त श्मशान तथा कॉलम संख्या 7 भूमि के वर्गीकरण में गैर मुमकीन श्मशान का अंकन है। जबकि दिनांक 13.7.2018 को भू अभिलेख निरीक्षकगण, पटवारी द्वारा मौके पर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

उपस्थित मौतबिरान के रूबरू तैयार की गई फर्द मौका में खसरा नम्बर 335 पर भैरव नन्दी गौपाल गौशाला तोलियासर व अन्य किसी व्यक्ति का अतिक्रमण व निर्माण नहीं बताया गया है। उक्त गौशाला खसरा नम्बर 336 में उतरी–पूर्वी तरफ बताई गई है। मुख्य निर्माण (पशु शैड) आबादी भूमि खसरा नम्बर 336 में निर्मित होना बताया गया है। गौ सेवकों द्वारा खसरा नम्बर 336 स्थित गौशाला व श्मशान भूमि खसरा नं. 335 के मध्य पट्टियां रोपी हुई दर्शायी गई है। खसरा नम्बर 334 गैर मुमकीन पायतन के पश्चिमी भाग (जो गौशाला के उत्तरी तरफ चिपता हुआ है) में पशु शैड व चारा शैड तथा प्याऊ बनी हुई दर्शायी गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विरोधाभाषी प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलार्थी रिमाण्ड की जाना हम न्यायोचित पाते है।

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुवे विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.जिला कलक्टर(प्रशा.)
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner